न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 102/2016

1 नन्दू सिंह पुत्र शिवसिंह।
2 उम्मेद कंवर पत्नी शिवसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रणजीत सिंह दत्तक पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व आदेश दिनांक 22.06.2016 न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी नवलगढ़ बमुकदमा रणजीत सिंह बनाम
नन्दूसिंह वगैरह प्रार्थना पत्र संख्या 131/2015

उपस्थिति :

1. श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवान सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः—27.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 131/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने एक दावा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अपीलान्ट विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था एवं पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र नियत थी परन्तु दिनांक 22.06.2016 को राजस्व लोक अदालत शिविर झाझड़ में दोनों पक्षकारान एवं उनके वकीलों की अनुपस्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा बिना कोई विधि प्रकिया अपनाये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर लिया गया व अपीलान्ट के विरूद्ध मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखने की निषेधाज्ञा जारी कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस प्रकरण में विवादित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1591, 1592 एवं खसरा नम्बर 1582, 1583 वाके ग्राम झाझड़ के रिकार्ड खातेदार अपीलान्ट है तथा इससे पूर्व अपीलान्ट के पूर्वज थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उस दिन से आज तक विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है एवं राजस्व रिकार्ड में भी अपीलान्ट एवं उनके पूर्वजों के नाम ही दर्ज है रेस्पोडेन्ट तथा उसके किसी भी पूर्वजों का विवादित भूमि में ना तो कब्जा काश्त रहा है और नाही कभी राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज रहा है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध कोई भी अजनबी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है। विचारण न्यायालय ने ना ही विधिक प्रकिया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

का अनुसरण किया है और ना ही राजस्व रिकार्ड की अवलोकन किया है एवं ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में तहसीलदार नवलगढ़ को पक्षकार नहीं बनाया गया जो कि इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे तहसीलदार को सुने बिना किसी भी कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई आदेश या व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट को आदेश दिनांक 22.06.2016 की जानकारी होने से व आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त करने की दिनांक से अपील अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैत्रिक है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वादी बाहुल्यता नहीं हो, विवादित भूमि खुर्द बुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। दिन प्रतिदिन की देरी का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पैत्रिक है। पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वादी बाहुल्यता नहीं हो, विवादित भूमि खुर्द बुर्द नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। दिन प्रतिदिन की देरी का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प जयपुर)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर